न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 13 / 14 निर्णय दिनांकः– 14.5.2019

1. मुकुल सिंह पुत्र जेठाराम जाति राजपुरोहित निवासी इन्द्रा कॉलोनी तहसील व जिला बीकानेर। जरिये मुख्त्यारआम श्रवण कुमार पुत्र भैरूसिंह जाति राजपुरोहित निवासी इन्द्र कॉलोनी, बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. गुलामनबी पुत्र मेहरदीन पुत्र बग्सखॉ जाति मुसलमान निवासी पंजाबगिर निवासी मौहल्ला पंजाबगिरान, बीकानेर।
2. बसीरा पत्नी माजीखॉ जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला भुट्टो का बास, तहसील व जिला बीकानेर।

3.	मुस्ताक खॉ	पुत्रगण स्व. माजी खॉ जाति भुट्टा मुसलमान
4.	कालू खॉ	निवासी भुट्टों का बास तहसील व जिला बीकानेर
5.	लाल मोहम्मद	
6.	पप्पू उर्फ आरिफ	जाति भुट्टा मुसलमान निवासी पंजाबगिर
7.	अली पुत्र स्व. रमजानखॉ	निवासी मौहल्ला पंजाबगिर, बीकानेर
8.	इकरामू पुत्र स्व. रमजान खॉ	
9.	पंजू खॉ	
10.	दितू खॉ	पुत्रगण स्व. लाल खॉ जाति मुसलमान निवासी
11.	मोहम्मद खॉ	पंजाबगिर निवासी मौहल्ला पंजाबगिर, बीकानेर।
12.	हुसैन खॉ	
13.	समसुदीन	
14.	मौजदीन	
15.	इसे खॉ	
16.	मुसे खॉ	पुत्रगण स्व. मौलू खॉ जाति मुसलमान निवासी
17.	अलीशेर	पंजाबगिर निवासी मौहल्ला पंजाबगिर, बीकानेर
18.	नबीशेर	
19.	सुल्तान खॉ	

20. हलीमा पत्नी स्व. इमामदीन जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला पंजाबगिरान, बीकानेर।

21. जन्नत
22. फातमा
23. अख्तर
24. खुबेजान
25. बानू
26. सफी मोहम्मद
27. मौहम्मद रफीक

(21–27) पुत्रियॉ स्व. इमामदीन खॉ जाति मुसलमान पंजाबगिर निवासी मौहल्ला पंजाबगिर बीकानेर

28. मोहम्मद रमजान पुत्र सरदार खॉ जाति मुसलमान पंजाबगिर निवासी मौहल्ला पंजाबगिर, बीकानेर।
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीकानेर।
30. उपपंजीयक प्रथम व द्वितीय, बीकानेर।
31. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 30—01—2014
उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

<u>उपस्थितः</u>

1. श्री विनोद पुरोहित, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मदनलाल बारूपाल
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 30—01—2014 जिसके द्वारा अपीलांट के विरुद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी

3. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि यह अपील अब निष्फल हो चुकी है क्योंकि जिस जैर अपील आदेश के

विरुद्व की गयी है वह दिनांक 10—03—2014 तक प्रभावी था और इसके बाद इस आदेश की अवधि नहीं बढ़ाई गयी है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कहा कि जैर अपील आदेश अब प्रभाव में नहीं रहा है, इसलिए इस अपील का गुणावगुण पर निर्धारण नहीं हो सकता, लेकिन इसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा 2001(1) आर.आर.टी.01 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मूल न्यायालय को नये सिरे से निर्णय करने हेतु लौटा दिया जावे ।

5. बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया ।

6. प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा दिनांक 30—01—2014 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया था जिसकी अवधि दिनांक 10—03—2014 तक थी । अब उक्त जैर अपील आदेश प्रभाव में नहीं है क्योंकि उसकी अवधि आगे नहीं बढ़ाई गयी है, ऐसी स्थिति में यह अपील निष्फल हो गयी है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा "बाबूलाल बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू" 2001(1) आर.आर.टी. 01 में दिये गये दृष्टान्त के अनुसार यह प्रकरण मूल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि वे इस प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर एक माह की अवधि के भीतर निर्णय पारित करें । अपीलांट को जरिये अभिभाषक निर्देश दिये जाते हैं कि वे उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष दिनांक 29—05—2019 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

7. अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे ।

8. निर्णय आज दिनांक 14—05—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर